उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 19.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

थाना श्रीनगर – राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीनगर में

थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में

थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 07 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 19.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम व0उ0नि0 रमेश कुमार सिंह व उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे0कां0 दयाराम, कां0 राहुल यादव, कां0 निशान्त पटेल, कां0 अजय कुमार, म0कां0 प्राची व कां0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/333/118(1)/115(2)/352/324(2)/351(3)/109(1) BNS से सम्बन्धित 07 नफर वाछिंत अभियुक्तगण क्रमशः 1.रोहित पुत्र लल्लू खां उम्र करीब 22 वर्ष 2.लल्लू खां पुत्र जुम्मन खां उम्र करीब 48 वर्ष 3.जमाल पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 50 वर्ष 4.रहीस खां पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 32 वर्ष 5.सोहिल पुत्र इदरीश उर्फ मुनन खां उम्र करीब 22 वर्ष 6.छोट्टन पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 33 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सुदामापुरी थाना चरखारी जनपद महोबा 7.रोशनी पत्नी शकील खां उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु0 धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को गोवर्धन मेला मैदान कम्पनी हाल कस्बा चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रोहित के कब्जे से 01 अदद आला-वारदात फरसा बरामद किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, 2.उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
3. हे0कां0 दयाराम, 4.कां0 राहुल यादव, 5.कां0 निशान्त पटेल,
6. कां0 अजय कुमार, 7.म0कां0 प्राची, 8.कां0 राहुल कुमार

गिरफ्तारी अभियुक्त –

1.रोहित पुत्र लल्लू खां उम्र करीब 22 वर्ष 2.लल्लू खां पुत्र जुम्मन खां उम्र करीब 48 वर्ष 3.जमाल पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 50 वर्ष 4.रहीस खां पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 32 वर्ष 5.सोहिल पुत्र पुत्र इदरीश उर्फ मुनन खां उम्र करीब 22 वर्ष 6.छोट्टन पुत्र कल्लू उर्फ यासीन खां उम्र करीब 33 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सुदामापुरी थाना चरखारी जनपद महोबा 7.रोशनी पत्नी शकील खां उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु0 धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ की संयुक्त अध्यक्षता में थाना कुलपहाड़ में आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 19.09.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ श्री प्रदीप कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विशेष रूप से दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व के दृष्टिगत दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों सहित गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं एवं मोहल्लेवासियों की उपस्थिति रही।

बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश व अपील-

- त्यौहारों को शान्तिपूर्ण व भाईचारे के वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु सभी से सहयोग की अपील।
- दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों को स्वच्छता, शालीनता एवं शांति बनाए रखने के निर्देश।
- लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि स्तर एवं समय सीमा के अनुसार ही करे।
- त्यौहार के दौरान शराब सेवन, हुड़दंग या किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि से दूर रहने की सख्त चेतावनी।
- खुराफात या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले तत्वों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की बात कही गई।
- किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने तथा समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा स्पष्ट किया गया कि त्योहारों को शांति व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने हेतु पुलिस पूर्णतः अलर्ट है। हुड़दंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस-प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए भाईचारे व आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का संकल्प लिया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 19.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम प्रभारी चौकी सौरा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुन्नालाल अहिरवार पुत्र घसीटा अहिरवार निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 पिपिया मे करीब 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए सौरा चौराहा यात्री प्रतीक्षालय के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम प्रभारी चौकी सौरा
2. का0 हे0का0 जंगबहादुर यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुन्नालाल अहिरवार पुत्र घसीटा अहिरवार निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक 19.09.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में हुई प्रमुख चर्चाएँ एवं दिए गए निर्देश-

- बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह की रोकथाम।
- गुमशुदा बालक/बालिका (धारा 137/87 बीएनएस) से संबंधित कार्यवाही।
- पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 का प्रभावी अनुपालन।
- धारा 137/87 बीएनएस व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बालक/बालिका के प्रारूप (क) व (ख) पर चर्चा।
- दिनांक 07.09.2025 से 21.09.2025 तक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों व भण्डारण गोदामों में बाल श्रम की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान।
- मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को सम्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उपस्थित विभाग/प्रतिनिधि –

अभियोजन कार्यालय, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन कार्यालय, जीआरपी महोबा, वन स्टॅाप सेंटर, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला थाना/एसजेपीयू महोबा के अधिकारीगण, साथ ही जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं अन्य विभागों के सदस्य उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के दिए गए निर्देश-

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक-19.09.2025 को जनपद महोबा के रिज़र्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में SJPU & AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनपद महोबा, जी0आर0पी0, जिला अभियोजन कार्यालय, महिला थाना / एस0 जे0 पी0यू0 प्रभारी.निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के अधि./कर्म. के साथ-साथ जनपद के सभी थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।